HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4520/2018

Manoj Mishra S/o Shri Lakshmeshwar Mishra

----Appellant

Versus

The Oriental Insurance Company Ltd.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Vikram Sharma for Mr. S.S. Nirwan
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/08/2023

धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में इस अपील को देरी से पेश किए जाने का कारण उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होना व अपने अधिवक्ता से समय पर सम्पर्क नहीं होना बताया गया है। उनका निवेदन है कि यह अपील, अपीलार्थी/क्लेमेन्ट्स के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है। अतः इसे प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने की प्रार्थना करते है।

प्रार्थना पत्र में अंकित सद्भाविक कारणों, देरी की अवधि 14 दिवस व योग्य अधिवक्ता द्वारा किए गये निवेदन के आधार पर इस अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाता है। तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस अपील को समयावधि में पेश होना माना जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि वे प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जाए। निवेदन अनुसार अपीलार्थी की जोखिम पर उन्मुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या–1 व 3 की तामील हेतु आदेशिका शुल्क, नोटिस सही पता सहित **चार सप्ताह** में पेश करने पर जारी होकर प्रकरण दिनांक **22.11.2023** को सूचीबद्ध हो। उक्त अवधि में पेश नहीं होने पर अपील बिना न्यायालय को संदर्भित हुए निरस्त समझी जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR/ 43